न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 2093–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 4–6–14 पारित द्वारा तहसीलदार, श्यामपुर जिला सीहोर प्रकरण कमांक 72/अ–12/2013–14.

नंदकिशौर आत्मज बाबूलाल कुड़मी
निवासी ग्राम खजूरियाकलां
तहसील श्यामपुर जिला सीहोर .....आवेदक

विरूद्ध

जितेन्द्र राठौर आत्मज आनंद राठौर
निवासी राठौर मोहल्ला गंज सीहोर .....अनावेदक

श्री बी.के. श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. गुरोंदिया, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 10/6/2015 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार, श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–14 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदक जितन्द्र राठौर द्वारा तहसीलदार, सीहोर के समक्ष संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत इस आशय का आवेदन पत्र

प्रस्तुत किया गया कि उसके स्वामित्व की ग्राम खजूरिया कला स्थित भूमि सर्वे कमांक 16/2, 16/3 एवं 16/4 कुल रकबा 3.342 हेक्टेयर है, जिसका वह सीमांकन कराना चाहता है, अतः सीमांकन किया जाये । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 72/अ–12/2013–14 दर्ज किया जाकर राजस्व निरीक्षक को सीमांकन किये जाने के आदेश दिये गये । सीमांकन दल द्वारा सीमांकन किया जाकर दिनांक 28–5–14 को तहसीलदार के समक्ष प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 4–6–14 को आदेश पारित कर सीमांकन की पुष्टि की जाकर प्रकरण समाप्त किया गया । तहसीलदार के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ प्रकरण में दिनांक 28–5–2015 को अनावेदक के तर्क सुने जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ आदेशार्थ सुरक्षित रखा गया था कि आवेदक के अभिभाषक एक सप्ताह में लिखित तर्क प्रस्तुत करेंगे किन्तु आवेदक की ओर से आज दिनांक तक लिखित तर्क प्रस्तुत नहीं किये गये । अतः प्रकरण का निराकरण आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में उठाए गए आधारों एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के आधार पर किया जा रहा है । आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए हैं :–

1– अनावेदक द्वारा सीमांकन हेतु संहिता की धारा 129 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में न होकर अस्पष्ट एवं मिथ्या जानकारी के विवरण सहित प्रस्तुत किया गया है, जो प्रथम दृष्टया प्रचलन योग्य नहीं होने से विधि विरूद्ध है । प्रस्तुत आवेदन पत्र पर की गई कार्यवाही निरस्त किये जाने योग्य है ।

2– अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन पत्र में स्वयं को आवेदक बतलाते हुए मात्र म.प्र. शासन को अनावेदक के रूप में संयोजित किया है, म.प्र. शासन के अतिरिक्त अन्य किसी भी मेढ़ पड़ौसी काश्तकार को पक्षकार नहीं बनाया है, और न ही वादग्रस्त सर्वे नम्बरों की सीमाओं से लगे हुए अन्य सर्वे नम्बरों का विवरण दिया गया है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने से पूर्व आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर न देकर प्राकृतिक न्यायदान के सिद्धान्त के विपरीत सीमांकन कार्यवाही कर आदेश पारित किया गया है, जो निरस्ती योग्य है ।

3– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में तथाकथित सीमांकन चालू नक्शा शीट एवं मौके पर मौजूद मुस्तकीन स्थाई मेढ़ के आधार पर किये जाने का उल्लेख किया गया है, जबकि खेतों के बीच बनी मेढ़ समय–समय पर खेतों की हकाई–जुताई के समय बनती बिगड़ती रहती है, जिसकी चौड़ाई हमेशा एक समान न होकर बदलती रहती है । ऐसी स्थिति में स्थाई चिन्हों (चांदा) के आधार पर सीमांकन नहीं किये जाने से तथा तथाकथित सीमांकन की कार्यवाही वैध एवं विश्वसनीय नहीं है । परिणामस्वरूप ऐसी कार्यवाही दूषित होने से निरस्ती योग्य है ।

4– तथाकथित सीमांकन प्रतिवेदन में राजस्व निरीक्षक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि भूमि सर्वे नम्बर 16/2 एवं 16/4 की सम्पूर्ण भूमि पर सम्पत बाई का आधिपत्य पाया गया है, जो क्षेत्र पुस्तिका फील्ड बुक में लाल स्याही से दर्शाया गया है । इसी प्रतिवेदन में यह भी उल्लेख किया गया है कि सर्वे नम्बर 16/3 की बटान, चालू नक्शा सीट में न होने से सीमांकन किया जाना संभव नहीं है । इस प्रकार सीमांकन के समय उपलब्ध राजस्व अभिलेख नक्शा अपूर्ण एवं त्रुटिपूर्ण होने से उसके आधार पर किया गया सीमांकन विधिक प्रकिया के विपरीत तथा दूषित होने से निरस्ती योग्य है ।

5– अनावेदक द्वारा वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में मात्र आवेदक एवं उसके परिजन से कब्जा छीनने के उद्देश्य से विक्रय पत्र का निष्पादन कराया गया है, जबकि तथाकथित विक्रेता द्वारा अनावेदक को न तो आधिपत्य सौपा गया है और ना ही मूल सर्वे नम्बर का विक्रयनामा कर नक्शा बटान ही अंकित कराये गये । अनावेदक धनबल एवं जनबल के सहयोग के आधार पर आवेदक से उसके स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि छीनना चाहता है । राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 27–5–14 को मौके पर बनाये गये तथाकथित पंचनामें में यह उल्लेख किया गया है कि उपस्थित पुलिस बल श्री टी.सी. दिगोदिया हैड कांस्टेबल 171, श्री बहादुर सिंह जवान 200 एवं कांस्टेबल श्री अनोखीलाल 600 की मौजूदगी में सीमांकन किया गया है, जबकि सीमांकन के समय पुलिस बल की उपस्थिति एवं सहयोग के सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, श्यामपुर द्वारा पुलिस अधीक्षक, सीहोर को बल उपलब्ध कराने का कोई आग्रह नहीं किया गया था, और न ही किसी सक्षम पुलिस अधिकारी के द्वारा वैधानिक कार्यवाही कर पंचनामे में उल्लेखित पुलिस कर्मियों को मौके पर सीमांकन

करवाये जाने का ही कोई निर्देश दिया गया था । अनावेदक द्वारा अपने प्रभाव का उपयोग कर आवेदक एवं अन्य मेढ़ पड़ौसी काश्तकारों में भय उत्पन्न करने के उद्देश्य से पुलिस कर्मियों का सहयोग लेकर सीमांकन की अवैध कार्यवाही के आधार पर वादग्रस्त भूमि का आधिपत्य छीनने के उद्देश्य से अवैध कार्यवाही की गई है ।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 27–5–2014 को सीमांकन किए जाने सम्बन्धी सूचना पत्र आवेदक को भेजा गया है, जिसे आवेदक द्वारा लेने से इन्कार किया गया है । यह भी कहा गया कि सीमांकन दिनांक 27–5–2014 के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति प्रस्तुत की गई है । अतः आवेदक के अभिभाषक का यह कहना कि उसे बिना सूचना व सुनवाई का अवसर दिये सीमांकन किया गया है, त्रुटिपूर्ण है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदक द्वारा सीमांकन के समय इस आशय की आपत्ति की गई थी कि व्यवहार न्यायालय में वाद प्रचलित है, अतः उसके निराकरण तक सीमांकन नहीं किया जाये, परन्तु उसके द्वारा व्यवहार न्यायालय से स्थगन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है, अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत सीमांकन की कार्यवाही की जाकर प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, और उक्त प्रतिवेदन के आधार पर तहसीलदार द्वारा सीमांकन आदेश पारित करने में पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही की गई है । अन्त में तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक सहित पड़ौसी कृषकों की उपस्थिति में सीमांकन किया गया है, जो कि संहिता की धारा 129 के अन्तर्गत विधि अनुरूप है, इस कारण भी तहसीलदार द्वारा पारित सीमांकन आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार द्वारा दिनांक 27–5–14 को प्रश्नाधीन भूमियों का सीमांकन किया गया है । सीमांकन पंचनामा से स्पष्ट है कि सीमांकन के समय आवेदक उपस्थित रहा है, और उपस्थिति स्वरूप उसके द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं, अतः आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा उठाया गया यह आधार पूर्णतः अभिलेख के विपरीत है कि तहसील न्यायालय द्वारा सीमांकन कार्यवाही की कोई सूचना आवेदक को नहीं दी गई है, और उसके पीठ पीछे सीमांकन किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत प्रश्नाधीन

भूमियों का सीमांकन किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । आवेदक की ओर से लिखित तर्क में उठाये गये आधारों से यह प्रमाणित नहीं होता है कि तहसीलदार द्वारा सीमांकन में किसी प्रकार की कोई त्रुटि की गई है । आवेदक की ओर से लिखित तर्कों में केवल तकनीकी स्वरूप के आधार उठाए गए हैं, जबकि किसी प्रकरण का निराकरण तकनीकी आधारों पर किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक दृष्टि से उचित नहीं है । इस प्रकार तहसीलदार द्वारा पारित आदेश पूर्णतः विधिसंगत होने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार, श्यामपुर जिला सीहोर द्वारा पारित आदेश दिनांक 4–6–14 वैधानिक एवं उचित होने से स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर